राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

18 JUL 2017

क्रमांक प. 2(4)न्याय/2015 जयपुर, दिनांक .

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित पारिवारिक न्यायालयों के कॉलम संख्या 3 में वर्णित संबंधित जिला न्यायाधीश से स्थानान्तरित किये जाने वाले दीवानी वादों को शीघ्र निपटाने हेतु दीवानी वाद सुनने का अधिकार प्रदान करती है।

साथ ही मोटर यान अधिनियम, 1988 (1938 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित पारिवारिक न्यायालयों को स्थानान्तरित किये जाने वाले मोटर दुर्घटना दावों की सुनवाई हेतु मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त करती हैः-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	जिला
1	2	3
1	पारिवारिक न्यायालय, बालोतरा	बाडमेर (बालोतरा)
2	पारिवारिक न्यायालय, धौलपुर	धौलपुर
3	पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर	जैसलमेर
4	पारिवारिक न्यायालय, जालोर	जालोर
5	पारिवारिक न्यायालय, करौली	करौली
6	पारिवारिक न्यायालय, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
7	पारिवारिक न्यायालय, सिरोही	सिरोही

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

-2-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सैशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, बाडमेर/बालोतरा/धौलपुर/जैसलमेर/जालोर/करौली/प्रतापगढ़/सिरोही।
8. न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय बालोतरा/धौलपुर/जैसलमेर/जालोर/करौली/प्रतापगढ़/सिरोही।
9. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणांलय, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
15. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

18.07.17

(डॉ0 कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव